

राजकीय महाविद्यालय, पीपाड़ शहर (जिला-जोधपुर)

(आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के परिपत्र 21.06.2024 (राजकाज रेफ. 8029676) एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 के निर्देशानुसार)

विद्या संबल योजना (2024-25)

में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी (पूर्णतय अस्थाई) के लिए आवेदन पत्र

आवेदित विषय :

Paste Your
Recent Photo

Do Not Staple

भाग एक : व्यक्तिगत सूचना

1	आवेदक का नाम	श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ. / प्रो. :		
2	पिता का नाम	श्री		
3	माता का नाम	श्रीमती		
4	लिंग	पुरुष ()	महिला ()	अन्य ()
5	जन्म तिथि		01-जुलाई-2024 को आयु	
6	वैवाहिक स्थिति	विवाहित ()	अविवाहित ()	अन्य ()
7	श्रेणी			
8	क्या आप महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी हैं?			हां / नहीं
9	स्थायी पत्ता			
10	पत्र व्यवहार हेतु पत्ता			
11	मोबाइल नम्बर			
12	वाट्सएप मोबाइल नम्बर			
13	ई-मेल आई.डी.			
14	आधार नम्बर या आधार पंजीयन संख्या			

भाग दो : शैक्षणिक सूचना

कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का पूरा नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	कुल पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत प्राप्तांक
स्नातक							
अधिस्नातक / स्नातकोत्तर							
एम.फिल.							
पीएच.डी.							
नेट							
जे.आर.एफ. सहित नेट							
सेट / स्लेट							

भाग तीन : शोध प्रकाशनों संबंधी सूचना

(सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित)

क्र.सं.	प्रकाशित शोध का टॉपिक	जर्नल का विवरण	वर्ष	ISBN/ISSN No.
1				
2				
3				
4				
5				

भाग चार : पोस्ट डॉक्टरल / शिक्षण अनुभव

क्र. सं.	पद	संस्था का पूर्ण नाम एवं पत्ता	अवधि (तिथि – माह – वर्ष)		कुल अनुभव	नियुक्ति प्रकृति (स्थायी / अस्थायी / स्थित वेतन / प्रति कालांश)
			से	तक		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

भाग पांच (अ) : अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार संबंधी सूचना
(अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रदत्त पुरस्कार)

क्र.सं.	संस्था का विवरण	पुरस्कार का विवरण	वर्ष
1			
2			

भाग पांच (ब) : राज्य स्तरीय के पुरस्कार संबंधी सूचना

(राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पुरस्कार)

क्र.सं.	संस्था का विवरण	पुरस्कार का विवरण	वर्ष
1			
2			

प्रमाण पत्रों की सूची (स्व प्रमाणित)

क्र.सं.	विवरण	कुल पृष्ठ	संलग्नक संख्या
1	श्रेणी का प्रमाण-पत्र – प्रतिलिपि		
2	मूलनिवास प्रमाण-पत्र		
3	शारीरिक रूप से निशक्त होने का प्रमाण-पत्र – प्रतिलिपि		
4	यदि महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी है तो पी.पी.ओ./सेवानिवृत्ति आदेश – प्रतिलिपि		
5	कक्षा 10 अंकतालिका/जन्म प्रमाण पत्र – प्रतिलिपि		
6	स्नातक अंकतालिका एवं उपाधि – प्रतिलिपि		
7	स्नातकोत्तर अंकतालिका एवं उपाधि – प्रतिलिपि		
8	एम.फिल. अंकतालिका एवं उपाधि – प्रतिलिपि		
9	पीएच.डी. उपाधि – प्रतिलिपि		
10	नेट जे.आर.एफ. प्रमाण पत्र – प्रतिलिपि		
11	नेट प्रमाणपत्र- प्रतिलिपि		
12	सेट/स्लेट प्रमाणपत्र – प्रतिलिपि		
13	शोध प्रकाशनों की प्रतिलिपियां (सभी)		
14	पुरस्कारों के प्रमाण पत्र – प्रतिलिपियां (सभी)		
15	पोस्ट डॉक्टरल/शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र – प्रतिलिपियां (सभी)		

जांच सूची

हां / नहीं

1.	क्या सभी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की प्रतिलिपियों पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं?	
2.	क्या फोटोग्राफ पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं?	
3.	क्या आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं?	
4.	क्या आवेदन पत्र के सभी खाने भरे गये है (या 'लागू नहीं' लिखा गया है)?	
5.	क्या "प्रमाण पत्रों की सूची" तैयार कर दी गयी है?	
6.	क्या "प्रमाण पत्रों की सूची" में एवं सलंगनों पर सलंगनक-संख्या अंकित कर दी गयी है?	

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रदत्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही, प्रमाणित एवं सत्य है। यदि इन सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.. (संस्थान का नाम) में दिनांक प्रति कालांश के
आधार पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो तक के लिए (अधिकतम 14
साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फौकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया हूँ।

1. यह है कि मैंने संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में .
..... अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है
तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र
क्रमांक प.6(2)वित्त साविलेनि 2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से
पढ़/समझ लिया है।
3. यह है कि मेरे द्वारा ओवदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा कोई तथ्य
छिपाया नहीं गया है।
4. यह है कि मेरे द्वार जमा किए गए समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बंधी मूल अभिलेख एवं अन्य
दस्तावेज जो संस्थान द्वारा अपेक्षित है (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम
शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण
पत्र) पूर्णतया सही है।
5. यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान
कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फौकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा।
जिला स्तरीय समिति के empanelment से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक
कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी जिसके लिए किसी भी न्यायपालिका में वाद दायर नहीं
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान
करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तथा संस्था एकतरफा कार्यवाही
हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थाई तथा अधिकतम
24 सप्ताह अथवा दिनांक 28.02.2025 जो भी पहले हो तक के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का
दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
8. इस व्यवस्था में नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फौकल्टी के रूप में
नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया
जाएगा।
9. मैं संस्था द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

10. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई अपराधिक प्रकरण न्यायालय से लम्बित है।
11. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताए मुझे गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
12. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 12 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य है, मैंने इनको भलिभांती पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

शपथग्रहिता